प0सं0–15/डी0एल0ए0 खगड़िया (प्र0स0अ0कार्य)–08/2011–1831/रा0, पटना–15 दि0–17/07/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 200

एस0 ओ0 रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– मानसी, थाना नं0–275 परगना– फरकिया, थाना– गोगरी जिला– खगड़िया मे सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात अंचल सह प्रखंड कार्यालय एवं परिसर निर्माण हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम – मानसी थाना नं0–275 के भीतर कमोवेष बीघा X कट्ठा X छटांक X धुर का, जो मानक माप से 2.50 एकड़ के बराबर होता है, एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसमें 2.50 एकड़ भूमि वास योग्य X एकड़ बंजर भूमि है, जिसका खेसरा संख्या–1039, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 का अंश है।

इस भू–खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – राष्ट्रीय उच्च पथ 31 सर्वे खेसरा सं0– 1045, 1046, 1048, 1049, एवं 1050 का अंश है।

दक्षिण –सर्वे खेसरा सं0– 1039 का अंश तथा सर्वे खेसरा संख्या– 1042 सम्पूर्ण है।

पूरब – सर्वे खेसरा सं0– 1043, 1044 एवं 1045 का अंश है।

पश्चिम – सर्वे खेसरा सं0– 1050, एवं 1039 का अंश तथा 1053 सम्पूर्ण है।

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम–1, 1894 की धारा 4के अपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार भूमि–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे के पदाधिकारियों और स्टाफ का प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आपके कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उसकी तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा–(4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 अ के उपवंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नही होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Gautam 19-3-13 — जिला भू–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता खगड़िया।

20/3/13 — समाहर्त्ता खगड़िया।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 1831 / रा0, दिनांक 17-07-13

प्रतिलिपि :– 1. तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमे एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले अंकन प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/13

सरकार के अवर सचिव